

## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) तथा संदर्भित निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/ विभागों के अन्तर्गत 31 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 42 पृथक टिप्पणियां शामिल हैं। मसौदा टिप्पणियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में उनके जवाब/ टिप्पणियों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों को भेज दिया गया था, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई कार्य कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक 34 टिप्पणियों के प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जबकि जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है। इससे पहले, मसौदा टिप्पणियों को संबंधित सीपीएसई के प्रबंधनों को भेजा गया था, जिनके उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई से संबंधित हैं:

मंत्रालय/ विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं
1. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय केमिकलस एण्ड फर्टिलाइजरस लिमिटेड)	1	1
2. नागर विमानन (एएआई, एयर इंडिया)	4	4
3. कोयला (महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी तमिल नाडु पावर लिमिटेड)	3	2

4.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (गॉवरनमेंट ई-मार्केट प्लेस)	1	1
5.	वित्त (आईआईएफसीएल, एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फेक्टरस लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई फेक्टरस लिमिटेड)	10	6
6.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (बीएचईएल, एचईसी लिमिटेड, तुंगभद्र स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड)	4	4
7.	आवासन और शहरी कार्य (एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड)	1	1
8.	माईन्स (हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड)	1	1
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (बीसीपीएल, ओएनजीसी आईओसीएल, बीपीसीएल एचपीसीएल)	5	1
10.	उर्जा (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड)	2	2
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई)	4	4
12.	शिपिंग (ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	1	0
13.	इस्पात (मेकोन लिमिटेड, आरआईएनएल, सेल)	5	5
<b>योग</b>		<b>42</b>	<b>34</b>

4. पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹1,243.20 करोड़ है।

5. इस प्रतिवेदन में पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:

- 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में शामिल ₹462.13 करोड़ के नियमों, निर्देशों, क्रियाविधि, निविदा के निबंधन और शर्तों आदि का अनुपालन नहीं करना।
- 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में संगठनों के ₹227.41 करोड़ के वित्तीय हित की गैर-सुरक्षा।
- तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹440.80 करोड़ का दोषपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण नियोजन।
- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹112.86 करोड़ का अपर्याप्त/ त्रुटिपूर्ण नियोजन।

6. प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसई द्वारा "वसूली और सुधार/ संशोधन" पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफों अर्थात् (क) 9 सीपीएसईज द्वारा लेखापरीक्षा के बताने पर ₹51.43 करोड़ की वसूली, और (ख) लेखापरीक्षा के बताने पर 3 सीपीएसईज द्वारा किए गए सुधार/ संशोधन शामिल हैं

**II प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:**

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 26 नवंबर 2008 को अपने कार्यालय जापन (ओएम) द्वारा, यह प्रावधान किया कि निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान सीधे सीपीएसई के मुनाफे और कार्यकारियों के निष्पादन से जुड़ा होगा। सीपीएसई को अधिकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व एप्रोच' को अपनाने की आवश्यकता थी ताकि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक कार्यकारी 'आउटस्टैंडिंग/ उत्कृष्ट' न हों और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को 'सामान्य से कम' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और कोई भी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, एएआई ने तीन उप-श्रेणियों अर्थात्, बहुत अच्छा, अच्छा और अच्छा से कम में कर्मचारियों की श्रेणी को 'सामान्य से कम' के अंतिम 10 प्रतिशत की ग्रेडिंग में संशोधित किया, और पीआरपी लाभ का क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और शून्य की दर से भुगतान किया। इस प्रकार, कर्मचारियों की केवल सीमित संख्या, अच्छे से कम के रूप में उपश्रेणीकृत की गई जिन्होंने 'सामान्य से कम' के अंतिम 10 प्रतिशत की श्रेणी के तहत सभी कर्मचारियों के बजाय पीआरपी प्राप्त नहीं किया था। 'बेल कर्व एप्रोच' की शर्त के अननुपालन के परिणामस्वरूप,

2010-11 से 2016-17 के दौरान अपात्र कर्मचारियों को ₹38.78 करोड़ की राशि का पीआरपी का भुगतान, जो कि डीपीई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

**(पैरा 2.1)**

दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और मंगलोर में एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस), एआईएल की सहायक कंपनी एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएसएल) सहित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि संशोधित कम दर, अध्यक्ष एआईएसएटीएस द्वारा अनुमोदित थी, एआईएल ने एएसएल द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए ₹44.88 करोड़ के जीएच प्रभारों की विभेदक राशि वहन की। एआईएल द्वारा अवशोषित विभेदक प्रभारों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) के तहत आवश्यक एआईएल की लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी नहीं है

**(पैरा 2.3)**

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने खान II के संबंध में लिग्नाइट उत्खनन के लिए एक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया, जबकि लिग्नाइट का शुरुआती स्टॉक, खान II से उत्खनित लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा और खान I ए से ट्रांसपोर्ट किया गए लिग्नाइट खान II से जुड़े दोनों थर्मल पावर स्टेशन की वर्ष 2015-16 और 2016-17 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। आउटसोर्सिंग उत्खनन अनुबंध के परिणामस्वरूप ₹28.74 करोड़ का व्यय हुआ जो परिहार्य था। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग अनुबंध के माध्यम से खुदाई की गई मात्रा के कारण इन्वेंट्री ओवरस्टॉकिंग हो गई और अंततः लिग्नाइट की गुणवत्ता में गिरावट आई।

**(पैरा 3.2)**

सरकारी ई-बाजार (विशेष उद्देश्य वाहन) को सामान्य उपयोग के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू और एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थाओं और सांविधिक और संवैधानिक निकाय के लिए शुरु से अंत तक ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए जीईएम प्लेटफार्म के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ

17 मई 2017 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया था। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद को अधिकृत किया गया था और सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम (संख्या 149), के द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किया गया था। जीईएम एप्लिकेशन (नया संस्करण) (जिसे जीईएम संस्करण 3.0 भी कहा जाता है) 26 जनवरी 2018 से परिचालन में है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारी अधिप्राप्ति के लिए ऑन लाइन समाधान को लागू करने में जीईएम सफल रहा है। हालांकि, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के अनुपालन के लिए भारत सरकार एमईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को नहीं किया गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा जीईएम की ई-बिडिंग मोड (मैनुअल 'सीलबंद बोली' प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक के समतुल्य) की मजबूती, गोपनीयता और अखंडता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ था। खरीदार और विक्रेता पंजीकरण के लिए इनपुट नियंत्रण में कमियां थीं और उपयोगकर्ताओं की पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को लीगेसी डेटा और गलत डेटा के नियमित रूप से क्लीनिंग और अपडेशन के साथ-साथ और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शीघ्र अधिप्राप्ति, दक्षता और गति का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त किया गया, क्योंकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, खासकर भुगतान में कई प्रकार से देरी हुई। इसी प्रकार, पारदर्शिता के उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण थे और मितव्ययता और उचित कीमत के उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में कमियां थीं। सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य होने के बावजूद, अधिक संख्या में निष्क्रिय या निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं ने दर्शाया की सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। जीएफआर और अन्य भारत सरकार के नियमों और विनियमों और व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेजों की मैपिंग में कमियां थीं। इन्सीडेंट समाधान तंत्र में भी महत्वपूर्ण विलंब थे। यद्यपि जीईएम के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति शुरू करने का इरादा किया था, हालांकि, विभिन्न सेवाओं को अभी भी जीईएम पर शुरू किया जाना था। मितव्ययता के संबंध में लेखापरीक्षा ने महसूस किया कि बचत को इंगित करने के लिए जीईएम द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली को सही नहीं दिखाया गया। एप्लिकेशन में कार्यात्मकता और

सहायता के अभाव के कारण उपयोग में आसानी नहीं थी। एप्लिकेशन को धीमी करते हुए और निरंतर ब्रेकडाउन में उपयोगकर्ताओं की अपेक्षित संख्या के अनुसार एप्लिकेशन को बेंचमार्क भी नहीं किया गया था।

(पैरा 4.1)

सड़क क्षेत्र में, परियोजनाओं में ऋण के प्रति प्रतिभूति के रूप में प्रदान करने के लिए भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है। ऋण परिसंपत्ति की गुणवत्ता हासिल करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता ही एकमात्र आश्वासन है। उसी रूप में आम ऋण समझौते (सीएलए) पर हस्ताक्षर करने से पहले परियोजना पर उचित सतर्कता, ऋण के संवितरण से पहले सीएलए में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए परियोजना कार्य प्रगति की निगरानी को सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं।

आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने परियोजनाओं के लिए आरओडब्ल्यू उपलब्धता के आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं ने परियोजनाओं को आरओडब्ल्यू की उपलब्धता के प्रमुख जोखिम के कारणों का संज्ञान नहीं लिया। नौ एनपीए मामलों में से सात में, आवश्यक आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता परियोजनाओं के गैर-पूरा होने और एनपीए में ऋण को चालू करने के लिए प्रमुख कारण था। एनपीए के एक मामले में, अवास्तविक यातायात प्रक्षेपण ने परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रभावित किया।

एनपीए सहित कई मामलों में, पर्यावरण/ वन/ वृक्षों की कटाई की मंजूरी से संबंधित सीएलए शर्तों, एस्करो खाते के माध्यम से आवश्यक इक्विटी के वित्तपोषण और प्रमोटरों द्वारा लागत से अधिक कीमत/ आईडीसी के वित्तपोषण के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ऋण वितरित किए गए थे। इससे कार्य प्रगति में देरी हुई, प्रमोटरों द्वारा फंड के दुरुपयोग किया गया और बुरी तरह से कुप्रबंधित परियोजनाओं परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण संवितरित हुआ।

ऋणदाताओं द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में अपर्याप्तता के कारण परियोजना की प्रगति की निगरानी कमजोर थी, विशेष रूप से अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण जानकारी जो आरओडब्ल्यू की उपलब्धता, प्रमोटरों द्वारा इक्विटी इन्फ्यूजन, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव, भौतिक कार्य प्रगति से संबंधित एलआईई रिपोर्टों और सीए प्रमाणपत्रों में दी

गयी थी जो परियोजना के साथ उपलब्ध निधियों और अग्रिमों की तुलना में थी जो बिना किसी प्रतिभूति के ईपीसी ठेकेदार को जारी किए गए थे/ अनुचित थे/ अप्राप्य अग्रिम थे और ऐसे अग्रिमों का दुरुपयोग हुआ था। निगरानी में त्रुटि के कारण प्रमोटर ने परियोजना की कार्य प्रगति की कीमत पर परियोजना निधि से अनुचित लाभ लिया।

उपरोक्त कमियों के कारण लेखा परीक्षा में जांच की गई 32 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं जिनमें ₹1,895.50 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, एनपीए हुए। इस से पता चलता है कि आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और मुख्य दक्षताओं को विकसित करने के अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

**(पैरा 5.1)**

आईआईएफसीएल ने रियायत प्राधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के अनुपालन और उधारकर्ताओं की आवश्यक ऋण सेवा क्षमता को सुनिश्चित किए बिना टेकआउट वित्त योजना के तहत दो ऋण स्वीकृत और संवितरित किए। इसके परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल ने पहले ही प्रतिबंधित परियोजनाओं में ₹26.20 करोड़ के ऋण को समाप्त कर दिया।

**(पैरा 5.2)**

एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड का गठन कृषि और सूक्ष्म वित्त के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। कंपनी तीन प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों अर्थात् द्वितीय स्तरीय संस्थाओं (एसएलआई), कारोबार और विकास संपर्ककर्ता (बी एण्ड डीसी) और उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष उधार देने (डीएल) में ऋण संवितरण का संचालन करती है। एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- कंपनी ने द्वितीय स्तरीय संस्थाओं (एसएलआई) की ऋण पात्रता का निर्धारण करते समय उनके नेट वर्थ की गणना में उनके सदस्यों की बचत को गलत तरीके से शामिल किया। इसके फलस्वरूप, ₹299.80 लाख तक के ऋणों को छह एसएलआई के लिए मंजूर किया गया था, जबकी उनमें से पांच किसी भी ऋण के

लिए पात्र नहीं थे और एक ₹50 लाख की मंजूरी के प्रति केवल ₹0.15 लाख के ऋण के लिए पात्र था।

- ऋणों के मूल्यांकन में कमियां थीं क्योंकि एसएलआई द्वारा प्रदान किए गए बुक ऋणों की सूची को लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और तीसरे पक्ष की गारंटी या प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
- कारोबार और विकास संपर्ककर्ताओं (बी एंड डीसी) की लेखापरीक्षा जांच के निष्कर्षों को ठीक से दर्ज नहीं किया गया था। संवितरित ऋणों के संबंध में पश्च संवितरण दौरों को कंपनी के परिचालन नियमावली के अनुसार नहीं किया गया था।
- एनपीए लेखाओं के संबंध में अनुवर्ती तंत्र कमजोर था और इसे मजबूत करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 5.3)

1972 में राष्ट्रीयकृत एनआईसीएल, सामान्य बीमा उद्योग में सेवा कर रहा है। विषयगत लेखापरीक्षा को जीएमपी के अंडरराइटिंग के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए किया गया था क्योंकि जीएमपी के तहत किया गया दावा अनुपात (आईसीआर) वर्षों से लगातार प्रतिकूल था।

पैरा आईआरडीए के निर्देशों और अपने स्वयं के निर्धारित मानकों के विचलन/ उल्लंघनों पर प्रकाश डालता है। लेखापरीक्षा ने देखा की:-

- एचओ के अनुमोदन के बिना नीतियों को जारी करना
- प्रतिकूल आईसीआर के बावजूद आईआरडीए दिशानिर्देशों का पालन न करना और अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन न करना
- एचओ द्वारा अनुमोदित प्रीमियम का कम संग्रहण
- जीएमपी के लिए जोखिम अंकन दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण प्रीमियम का कम प्रभारित करना
- ब्रोकरेज/ कमीशन के अनधिकृत और अधिक भुगतान के मामले



आईआरडीए के परिपत्र/ निर्देशों और अपने स्वयं के निर्धारित मानकों के निर्देशों का अननुपालन संगठन में निगरानी और नियंत्रण तंत्र की कमियों को दर्शाता है।

**(पैरा 5.4)**

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड ने मैसर्ज फैबटेक प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (एफपीईएल) को ₹35 करोड़ मूल्य की घरेलू फैक्ट्रिंग सुविधा की मंजूरी दी थी। इस सुविधा में स्ट्रेस के प्रारंभिक चेतावनी संकेत जैसे कि भुगतान में देरी, प्रत्यक्ष भुगतान, क्रेडिट रेटिंग का कम होना, लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी आदि दिखाई दिए थे। कंपनी ने एफपीईएल द्वारा प्रस्तुत बीजकों को फैक्टर करना जारी रखा तथा सुविधाओं को कम करने तथा छोड़ने की सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय भुगतान करते रहें। परिसंपत्ति मार्च 2019 में एनपीए बन गई और ₹28.37 करोड़ बकाया की वसूली नहीं हुई।

**(पैरा 5.8)**

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मूल्य निर्धारण के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹112.28 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

**(पैरा 5.9)**

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकृत है और मुख्य रूप से फैक्ट्रिंग और अल्पावधि कॉर्पोरेट ऋण के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

चूंकि कंपनी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता पिछले पांच वर्षों में खराब हो गई थी, इसलिए कंपनी की वार्षिक क्रेडिट नीति और कारोबार योजना के अनुपालन की जांच करने, क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र की समीक्षा करने और यह जांच करने कि क्या ऋण की मंजूरी और संवितरण में उचित सतर्कता बरती गयी है, और क्रेडिट निगरानी तंत्र की दक्षता की जांच करने के उद्देश्यों के साथ 2014-15 से 2018-19 की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित थीं:

- लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए मंजूरी और संवितरण के 26 मामलों में से 20 को एक से सात विचलन के साथ अनुमोदित किया गया था।
- कॉर्पोरेट ऋणों के आठ मामलों में, कंपनी ने समर्थक प्रतिभूति के कॉर्पोरेट ऋणों की मंजूरी के लिए बुनियादी और आवश्यक पात्रता मानदंड होते हुए भी प्रतिभूति के आश्वासन के आधार पर दो बिंदुओं तक ग्राहकों की रेटिंग को अनुचित रूप से उन्नयन किया/ बढ़ाया।
- लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए एनपीए और बट्टे खाते के 25 मामलों (17 एनपीए और 8 बट्टे खाते के मामले) में से 21 मामलों में सुविधा की स्वीकृति और मानीटरिंग संबंधी क्रेडिट पॉलिसी का अननुपालन देखा गया, जिसके कारण इन लेखाओं को एनपीए में बदला या बंद किया जा रहा है। 25 (सैंपल) में से, 15 मामलों में ₹212.31 करोड़ की वसूली संदिग्ध थी।
- कंपनी ने ग्राहकों को इनवॉइस उपाश्रय में होते हुए (देय भुगतान तिथि से 30 दिन ऊपर) के बावजूद डेबिट नोट फंडिंग के माध्यम से फंडिंग जारी रखी। डेबिट नोट फंडिंग की इस प्रथा के कारण पुराने अतिदेय/ उपाश्रित इनवॉइस बंद हो जाते हैं/ निपटारा हो जाता है और प्राप्त नए इनवॉइस के प्रति निधियन की अनुमति मिलती है जिससे एनपीए के रूप में किसी लेखा के वर्गीकरण में देरी होती है और ऐसे लेखा हमेशा चालू रहते हैं।
- कंपनी ने 16 मामलों में लेखाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जहां आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अतिदेय निर्धारित अवधि से ऊपर के थे।
- कंपनी ने चार मामलों में ग्राहक/ देनदारों द्वारा की गई धोखाधड़ी की सूचना दी जिससे कंपनी को ₹50.33 करोड़ की हानि (संदिग्ध वसूली) उठानी पड़ी। कंपनी की ओर से प्रमुख चूके थीं (i) पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ग्राहक को क्रेडिट सुविधा स्वीकृत करना (ii) नए देनदार को मंजूरी देने और जोड़ने के समय उचित सतर्कता का अभाव (iii) क्रेडिट पॉलिसी में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार

लेखा की निगरानी नहीं करना (iv) इनवॉइस के पुनः समनुदेशन और डेबिट नोट फंडिंग द्वारा लेखा को एनपीए के रूप में घोषित करने में देरी और (v) मंजूरी पत्र, संवितरण शर्त और महत्वपूर्ण पूर्व संवितरण शर्तों की छूट के अनुसार मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न करना।

**(पैरा 5.10)**

संविदात्मक प्रावधानों और ग्राहक द्वारा बैंक गारंटी के परिणामी आह्वान के अनुसार निष्पादन को विफल करने के कारण भेल को 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की हानि हुई।

**(पैरा 6.1)**

भेल का हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद जल प्रभारों पर सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने में विफल रहा, जैसा कि हैदराबाद जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक, ₹21.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(पैरा 6.2)**

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 के बही खातों में भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज की छूट का गलत उपचार किया। नतीजतन, कंपनी ने ₹41.18 करोड़ की कर देयता के साथ ₹55.38 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान किया।

**(पैरा 6.4)**

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई (एआरसीआईएल) ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से सम्पर्क किया कि कंपनी अपनी इच्छा से झगड़िया कॉपर लिमिटेड, गुजरात (जेसीएल) संयंत्र, जो कार्यशील पूंजी के अभाव में सितम्बर 2009 से बंद था, के अधीग्रहण करने में दिखाये। यद्यपि प्रचालन पहलू के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता में कमी के संबंध की सूचना के बावजूद, एचसीएल ने एकमात्र बोलीकर्ता के रूप में एआरसीआईएल से ₹210 करोड़ के मूल्य पर जेसीएल प्लांट (फरवरी 2015) में खरीदा तथा इसे गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट (जीसीएल) का नाम दिया। मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान जीसीपी की कुल क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा सका। परिणामस्वरूप, जीसीपी के परिचालन के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान एचसीएल को

₹102.49 करोड़ का नुकसान हुआ। इस बीच, कंपनी ने अर्थात् मार्च 2019 तक जीसीपी (अधिग्रहण लागत सहित) में कुल ₹303.18 करोड़ का निवेश किया।

**(पैरा 8.1)**

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अक्टूबर 2003 में इनफॉर्मेशन कनसालिडेशन फॉर ऐफिशिएंसी (आईसीई) नाम की एक परियोजना शुरू की, जो वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध एकीकृत सूचना के लिए व्यवसाय प्रक्रियाओं के अनुकूलन और मानकीकरण के उद्देश्य से एक सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के तहत अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने और स्रोत बिंदु पर डेटा कैचर करके दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गतिविधियों के दोहराव को समाप्त करने के लिए है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मास्टर रिकॉर्ड में परिसंपत्ति के स्थान और अभिरक्षक पर डेटा ठीक से नहीं डाला गया था और 571 पूर्व कर्मचारियों को ₹87.43 करोड़ मूल्य की परिसंपत्ति के अभिरक्षक के रूप में सिस्टम में निरूपित किया जाता रहा। वेंडर मास्टर में गलत बैंक कुंजी और डुप्लिकेट वेंडर रिकॉर्डों की पहचान की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एक बार के वेंडर के रूप में वर्गीकृत वेंडरों के लिए बार-बार भुगतान किए गए और भुगतान ब्लॉक कुंजी (1096 दिनों तक) में बिना किसी कारण के अतिदेय भुगतान जारी रहा। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ड्रिलिंग लागत के आवंटन को अपनाने के लिए कंपनी में समान व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है।

**(पैरा 9.2)**

ओएनजीसी ने कच्चे तेल की बिक्री के लिए आईओसीएल और बीपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया (अप्रैल 2002)। विक्रय मूल्य स्लैब दरों पर छूट के अधीन था यदि कच्चे तेल में बेसिक सेडिमेंट और पानी (बीएसएण्डडब्ल्यू) का तत्व मात्रा से 0.2 प्रतिशत अधिक था। ओएनजीसी के असम क्षेत्रों से उत्पादित तेल में उच्च बीएसएण्डडब्ल्यू घटक अधिक होती है, जिसके कारण रिफाइनरियों को आपूर्ति करने से पहले बीएसएण्डडब्ल्यू की मात्रा के स्तर को 0.2 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए कच्चे तेल के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि असम नवीकरण योजना की परिकल्पना काफी पहले दिसंबर 2005 में ₹2,465.15 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ की गई थी। परियोजना के प्रमुख डिलिवरेबल्स में से एक

बीएसएंडडब्ल्यू स्तर को 0.2 प्रतिशत से नीचे नियंत्रित करना था। हालांकि यह परियोजना मार्च 2013 में पूरी होने वाली थी, किंतु अभी भी कार्य जारी है। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2019 के दौरान कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू 0.164 से 0.417 प्रतिशत थे, जिसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी को ₹27.06 करोड़ की राशि की मूल्य छूट/ राजस्व की हानि हुई थी।

### (पैरा 9.3)

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का प्रमुख हिस्सा बनने वाले पेट्रोल (एमएस) और डीजल (एचएसडी) की कीमतें क्रमशः जून 2010 और अक्टूबर 2014 में जीओआई द्वारा अविनियमित की गई थीं। ओएमसी ने एमएस और एचएसडी के खुदरा बिक्री कीमत में दैनिक परिवर्तन को 16 जून 2017 से प्रभावी किया, जो की तब तक पखवाड़े में संशोधित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने दैनिक मूल्य निर्धारण के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 188 रिटेल आउटलेट्स (आरओ) की नमूना जाँच की और आरओ के स्वचालन और ओएमसी में निरंतर कनेक्टिविटी के प्रावधान के संदर्भ में दैनिक मूल्य संशोधन के क्रियान्वयन के समय ओएमसी की तैयारी की अपर्याप्तता को देखा। कुछ स्वचालित आरओ में, डीलरों को दैनिक कीमतों को मैन्युअल रूप से बदलते पाया गया। डीलरों ने कीमतों को बदलने में भी शीघ्रता नहीं की जिससे ग्राहकों से अधिप्रभार/ न्यून प्रभार से कीमतें वसूल की गईं। लेखापरीक्षा ने मूल्य परिवर्तनों की अपर्याप्त निगरानी, ओएमसी के फील्ड अधिकारियों द्वारा आरओ के निरीक्षण में कमी और फील्ड अधिकारियों द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अपर्याप्त रिपोर्टिंग को देखा।

### (पैरा 9.4)

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 25 वर्षों की अवधि के लिए रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन-1 (आरटीपीएस-1) से 150 मेगावाट की आपूर्ति के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ एक पीपीए किया। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण, डीवीसी और केएसईबीएल ने उपरोक्त पीपीए के संबंध में 150 मेगावाट से 50 मेगावाट तक आरटीपीएस-1 से विद्युत की मात्रा को कम करने के लिए आपसी सहमति (जुलाई 2015) की। लेकिन केएसईबीएल के साथ 100 मेगावाट की आपूर्ति के लिए कोई पीपीए नहीं किया गया था। आरटीपीएस-1 से विद्युत के शेड्यूल को मई 2016 से शुरू किया गया था। इस प्रकार, निगम केएसईबीएल से 100 मेगावाट

विद्युत के लिए तदनुसूची आरटीपीएस-I के संबंध में मई 2016 से मार्च 2019 तक ₹78.15 करोड़ ₹78.15 करोड़ की क्षमता प्रभार वसूलने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, निगम को प्रति माह ₹3.53 करोड़ की हानि को अवशोषित करना पड़ा है जब तक कि 100 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए नए उपभोक्ता ना आ जाएं।

(पैरा 10.1)

हालांकि टीएनएसटीसी बसों से टोल बकाया की वसूली की जिम्मेदारी रियायतग्रही की थी, एनएचएआई ने रियायतग्रही के ₹28.92 करोड़ दावे को के स्वीकार किया, जो रियायत समझौते के अनुच्छेद 22.8 के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। परियोजना राजमार्ग के स्टैच को बनाए रखने में एनएचएआई की विफलता के कारण एक जनहित याचिका और उसके बाद माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण टोल दरों को आधे से कम कर दिया गया। इससे ₹20.38 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है।

(पैरा 11.1)

एनटीपीसी लिमिटेड ने मेकॉन को उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बाहरी कोयला हैंडलिंग प्लांट का कार्य दिया (फरवरी 2017)। मेकॉन लिमिटेड द्वारा काम शुरू करने में देरी और एनटीपीसी द्वारा प्रदान की गई बाहरी कोयला हैंडलिंग संयंत्र परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपने विदेशी सहयोगी द्वारा बैंक गारंटी जमा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा संविदा को समाप्त करना पड़ा और बीजी का नकदीकरण हुआ और मेकॉन को ₹42.26 करोड़ का नुकसान हुआ।

(पैरा 13.1)

आरआईएनएल के पास पांच टर्बो जेनरेटर (टीजी) और सहायक विद्युत उत्पादन इकाइयों सहित एक थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) था जिसकी 31 मार्च 2019 तक कुल स्थापित क्षमता 542.48 मेगावाट थी। आरआईएनएल में ऊर्जा प्रबंधन की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

- मुख्य टीपीपी द्वारा प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक से कम था। टीपीपी के संचालन को 80 प्रतिशत की पीएलएफ पर मानते हुए, कंपनी को एपीईपीडीसीएल से आयातित विद्युत की लागत के प्रति ₹85.48 करोड़ तक की बचत हो सकती थी।

- बॉयलर कोयले की अधिप्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत की परिकल्पना के बिना बॉयलर कोयले के साथ उच्च लागत वाले मध्यम कोकिंग कोल के मिश्रण और बॉयलर कोयले की कमी के कारण आरआईएनएल ने टीपीपी उत्पादन पर अंकुश लगाया जिसके कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। देशी बॉयलर कोल के साथ एमसीसी के अनुचित सम्मिश्रण के कारण कंपनी द्वारा ₹145.21 करोड़ तक की बचत समाप्त हो गई।
- अनुषंगी विद्युत उत्पादन इकाइयों का उपयोग दोषपूर्ण डिजाइन/ सिंटर मशीन से अपर्याप्त ताप लाभ/ अपर्याप्त शीर्ष गैस दबाव के कारण खराब था, जिसके परिणामस्वरूप एपीईपीडीसीएल से विद्युत की परिणामी अधिप्राप्ति के साथ विद्युत उत्पादन में कमी आई थी।
- सहायक विद्युत की खपत, सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹230.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भाप की अतिरिक्त खपत, निर्धारित मानकों से अधिक होने से 29.91 लाख टन थी जिसे जब मौद्रिक संदर्भ में बदला गया तो कीमत ₹382.48 करोड़ थी।

## (पैरा 13.2)

लेखापरीक्षा ने आंतरिक खानों के प्रबंधन और सुरक्षा तथा पर्यावरण कानूनों का अनुपालन निर्धारित करने के लिए 2014-19 की अवधि के लिए सेल की सभी आंतरिक खानों के रिकॉर्ड की जांच की। यह पाया गया कि सेल ने पर्वतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के आवंटन से पहले व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए तकनीकी यथोचित सतर्कता लागू नहीं की और तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया, जिसे बाद में इसे छोड़ना पड़ा। इस तरह से इन कोयला खदानों के विकास पर खर्च की गई राशि निष्फल हो गई। दल्ली, राजहारा और बरसूआ खानों में नियोजित स्तरों से कम उत्पादन के कारण माल ढुलाई के अंतर पर अतिरिक्त व्यय के साथ बीएसपी और आरएसपी द्वारा दूर स्थित खदानों से लौह अयस्क का स्थानांतरण किया गया। बरसूआ खदानों में बिना अनुमोदन के गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का अनुपालन न करने के कारण एनपीवी और सीए शास्ति का भुगतान किया गया। बोलानी माइंस द्वारा ओडिशा मिनरल्स नियम, 2007 का अनुपालन न करने के कारण रॉयल्टी अंतर पर अतिरिक्त व्यय हुआ। मनोहरपुर खदान

में अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, क्योंकि लौह अयस्क को उच्चतम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और नंदिनी खानों में अस्वीकृत चूना पत्थर के चिप्स पर जो लोहे के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं थे अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। जीओओ और जीओजे ने लौह अयस्क और चूना पत्थर की कच्ची सामग्री प्रभाग के तहत खदानों के संचालन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी/ सहमति के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनन के कारण मुआवजे की मांग की। मेघाहातुबुरु एवं बोलानी खदानों में रेलवे की अतिरिक्त भूमि को छोड़ने में देरी से परिहार्य व्यय हुआ। खदानों में आवश्यकता के प्रति वैधानिक श्रमबल में 41 प्रतिशत की कमी थी।

**(पैरा 13.3)**

लेखापरीक्षा ने निर्धारित अधिनियम/ नियमों/ विनियमों और मानक संचालन प्रथाओं (एसओपी) का अनुपालन निर्धारित करने और पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, सुरक्षा मानकों से संबंधित सामाजिक जिम्मेदारियों तथा सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं के अनुप्रयोगों का पालन किया गया, के लिए 2014-19 की अवधि के लिए सेल की सुरक्षा नीति और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। यह ध्यान दिया गया कि सेल सुरक्षा संगठन ने अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई योजना विकसित नहीं की या समय सीमा तैयार नहीं की। 686 सिफारिशों में से 258 का अनुपालन करना बाकी था। बीएसपी के पंप हाउस में पाइपलाइन के टूटने से पानी के दबाव में गिरावट आयी और बीएफ गैस के पीएच में फैलने के कारण छह व्यक्तियों की मौत हो गई। सुरक्षा उपायों को करने में शिथिलता और चार्ज पाइपलाइनों पर सीओ गैस लाइन के डी-ब्लैकिंग कार्य करने की असुरक्षित प्रथा के कारण बीएसपी में दुर्घटना हुई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। वैधानिक आवश्यकता की तुलना में संयंत्र में कम संख्या में सुरक्षा अधिकारी तैनात थे। फ्लाई ऐश और स्लैग डंप का निपटान न करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होने के कारण ईसी जारी होने में देरी हुई जिसके अभाव में बीएसएल में सेंटर प्लांट और एसएमएस-1 पैकेजों के लिए काम रोक दिया गया था। सेल में सीओ<sup>2</sup> उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ टाटा स्टील से अधिक था। वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के पूरा होने में देरी से पर्यावरण में गैसों का प्रवाह हुआ। सेल में औसत विशिष्ट ऊर्जा की खपत विश्व औसत के साथ-साथ टाटा स्टील और आरआईएनएल से अधिक थी।

**(पैरा 13.4)**